मजदूरों का अपना कोई देश नहीं होता

दुनियां के मजदूरो, एक हो !

फरीदाबाद मजदूर समाचार

मजदूरों की मुक्ति खुद मजदूरों का काम है

दुनियां को बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होग

नई सीरीज नम्बर 60 जून 1993 1/-

बोल्टन

14/3 मथुरा रोड़ स्थित इस फैक्ट्री में 5 मई को ले आफ का नोटिस लगते ही सब मजदूर फैक्ट्री गेट पर तम्बू तान कर धरने पर बैठ गये थे। 5 जून को समाचार मिलने तक धरना जारी था।

ले आफ के खिलाफ 6 मई को बोल्टन मजदूरों ने लेबर डिपार्टमेंट में कम्पलेन्ट किया। सरकारी विभाग ने डुप्लीकेट पर रिसीव के हस्ताक्षर किये। बाद में इन मजदूरों द्वारा शिकायत पर कार्रवाई के बारे में पूछने पर इन्हें बताया गया कि कागज गुम हो गया है!

मजदूरों ने डी एल सी को कम्पलेन्ट की। इस पर 20, 24 और 31 मई की तारीखें पड़ी हैं। मैनेजमेंट ने24 को कहा कि 27 लाख रूपये का माल स्टाक हो गया है। इधर ले आफ के दौरान क्लेरिकल स्टाफ पैकिंग का काम कर रहा है और 15 लाख का माल फैक्ट्री से निकाल लिया गया है। लेकिन, बोल्टन के ट्रेड मार्क से दिल्ली में तीन जगह माल बन रहा है। और, बोल्टन फैक्ट्री गेट के अन्दर स्थित इसी मैनेजमेंट की पाइनवुड इलैक्ट्रोनिक्स में भी बोल्टन का काम हो रहा है।

बोल्टन के मजदूर ले आफ के खिलाफ हर रोज एकजुट हो कर शान्ति से फैक्ट्री गेट पर धरने पर बैठते हैं। महिला मजदूर इसमें बराबर हिस्सा लेती हैं। प्रोडक्शन इन्चार्ज धरने पर बैठी महिला मजदूरों को अपशब्द बोलता है।

31 मई को डी एल सी के पास बोल्टन मजदूर जलूस की शक्ल में गये। स्वयं तारीख तय करने के बावजूद डी एल सी अनुपस्थित थे। इस पर जलूस 9 सैक्टर लेबर अफसर के दफ्तर गया। बोल्टन मैनेजमेंट वहां उपस्थित थी। सरासर झूठ बोल कर मैनेजमेंट ने ले आफ 10 जून तक बढ़ा दी। बोल्टन मैनेजमेंट के इरादे नेक नहीं हैं। मजदूरों द्वारा अपनी ताकत बढ़ाने के लिये अन्य कदम उठाने जरूरी हैं।

लार्सन एन्ड टूब्रो

12/4 मथुरा रोड़ स्थित लार्सन एन्ड टूब्रो स्विचगियर फैक्ट्री में 14 अप्रैल को की गई तालाबन्दी जारी है। पुलिस का फैक्ट्री में आना-जाना जारी है। और हर रोज मारूति वैनों में स्टाफ को भर कर मैनेजमेंट फैक्ट्री में ले जा रही है।

प्रिसीजन स्टैम्पिंग

प्लाट 106 सैक्टर 24 स्थित प्रिसीजन स्टैम्पिं में 300 वरकर 40 टन माल तैयार करते थे। अब118 मजदूर 180 टन माल तैयार करते हैं। वैसे इन 118 परमानेन्ट वरकरों के साथ 12 ट्रक ड्राइवर,4 स्वीपर, 18 टेम्परेरी और ठेकेदार के 12 सैक्यूरिटी वाले भी इस समय यहां काम करते हैं। 30 स्टाफ के लोग हैं।

1972 से इस फैक्ट्री में मोटर और फैन लेमिनेशन- स्टैम्पिंग का काम हो रहा है। इस बीच सैक्टर 25 में एन जी स्टील, सैक्टर 27 में मोटर एन लेमिनेशन के नामों से फैक्ट्रियां और मुजेसर में फरीदाबाद लेमिनेशन के नाम से वर्कशाप बन गये हैं। डिमान्ड नोटिसों पर 1979 में तीन महीने की हड़ताल और90 में एक महीने की हड़ताल प्रिसीजन स्टैम्पिंग में हुई हैं।

इधर 13 फरवरी को डिमान्ड नोटिस दिया गया। 5 मई तक मैनेजमेंट ने उस पर कोई बात नहीं की तो मामला सैक्टर 15 में श्रम समझौता अधिकारी के पास ले जाया गया। 13 मई को लेबर डिपार्टमेंट के इस साहब ने कहा कि मैनेजमेंट ने भी डिमान्ड चार्टर दिया है जिस पर पहले चर्चा की जाये। इस पर चिक-चिक होने पर साहब ने यह कह कर कि मामला उनके बस का नहीं है, इसे डी एल सी को रेफर कर दिया।

मजदूरों के नाम पर दिये गये डिमान्ड नोटिस में छुट-पुट डिमान्डें हैं जबकि 19 पाइन्ट वाले मैनेजमेंट के डिमान्ड चार्टर में कुछ डिपार्टमेंटें बन्द करने, मजदूरों की छंटनी और मिल रही सहूलियतों में कटौती जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

अपनी जरूरतें मजदूरों पर थोपने के लिये प्रिसीजन मैनेजमेंट ने पंगे लिये। 22 मई को एक बीमार टेम्परेरी वरकर के मामले में तू-तड़ाक के बाद मैनेजमेंट ने एक यूनियन लीडर को सस्पैन्ड कर दिया। मैनेजमेंट ने टूल आदि फैक्ट्री से शिफ्ट करने शूरू किये रोकने पर एक यूनियन लीडर को 23 मई को और दूसरे को 24 को सस्पैन्ड कर दिया। मजदूरों ने मैनेजमेंट की इन कार्रवाइयों का विरोध किया। 26 मई को सुबह साढे सात बजे की शिफ्ट में वरकर जब ड्यूटी पर पहुंचे तब उन्होंने पुलिस को फैक्ट्री गेट पर पाया। मैनेजमेंट की शर्तें मजदूरों द्वारा नहीं मानने पर उन्हें पुलिस ने फैक्ट्री के अन्दर नहीं जाने दिया। 26 मई से ही प्रिसीजन स्टैम्पिंग के मजदूर फैक्ट्री गेट पर धरने पर बैठे हैं।

यह मामला भी श्रम समझौता अधिकारी के पास ले जाया गया। "अपने बस का नहीं है" कह कर इसे भी साहब ने डी एल सी को रेफर कर दिया है।

अपनी ताकत बढ़ाने के लिये हर रोज जलूस और प्रिसीजन ग्रुप की 25 व 27 सैक्टर की फैक्ट्रियों तथा मुजेसर वर्कशाप के मजदूरों से संपर्क- तालमेल इन मजदूरों के लिये प्राथमिक कदम हैं। इस दिशा में इन वरकरों को और क्या करना चाहिये यह सोचने-विचारने की बात है।

एक मजदूर की मौत

बाटा फैक्ट्री शनिवार और इतवार को बन्द रहती है लेकिन इस वजह से कैजुअल व ठेकेदारों के मजदूरों की छुट्टी नहीं हो जाती। शनिवार- इतवार को फैक्ट्री में काम के साथ ही ऐसे वरकरों को साहब लोगों की बाटा कालोनी में भी काम करना पड़ता है।

शनिवार, 29 मई को बाटा फैक्ट्री में माली का काम करने वाले ऐसे एक मजदूर को बाटा कालोनी में काम पर लगाया गया। एक साहब ने उसे अपना कूलर साफ करने को कहा। कूलर के हाथ लगाते ही वह वरकर उस से चिपक गया और बिजली के करन्ट से उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। साहब ने लाश बाटा कालोनी पार्क में डलवा दी।

बाटा मैनेजमेंट हरकत में आई। वरकर को हैजा हो गया है की कहानी फैला कर इलाज के लिये लाश को अस्पताल ले गई। डाक्टरों द्वारा मृत घोषित करने और पोस्ट मार्टम की खानापूर्ति करवा कर बाटा मैनेजमेंट ने फौरन लाश को जलवा दिया।

यूनियन लीडरों ने 31 मई को शोक सभा में बिजली का करन्ट लगने से वरकर की मौत की सम्भावना को 80 परसैन्ट वजन दिया और पोस्ट मार्टम का इन्तजार करने की घोषणा की।

बाटा मैनेजमेंट के रैपिड एक्शन, यूनियन लीडरों के इन्तजार और पोस्ट मार्टम की भूल- भुलैया में एक मजदूर की मौत गुम हो गई।

पेन्शन स्कीम

प्रोविडेन्ट फन्ड- पेन्शन स्कीम पर छिड़े विवाद के सन्दर्भ में 31 मई के इकानोमिक टाइम्स में मद्रास के श्री पी एस नरसिम्हन का पत्र छपा है। पत्र के अनुसार इस स्कीम पर मजदूरों की राय सर्वोपरि महत्व की है लेकिन स्कीम पर सब विचार- विमर्श मजदूरों की पीठ पीछे करके नेताओं ने इसे अपने बीच एक और खेल बना लिया है।

पत्र में पेन्शन स्कीम को स्पष्ट करने के लिये एक उदाहरण लिया गया है। मान लीजिये कोई 30 वर्षीय आज एक हजार रूपये महीना वेतन पर नौकरी आरम्भ करता/करती है। हिसाब लगाना आसान करने के लिये यह भी मान लीजिये कि इसी एक हजार रूपये महीने पर लगातार 28 साल नौकरी करने के बाद वह 58 वर्ष की आयु में रिटायर होगा/होगी। पुराने तरीके से प्रोविडेन्ट फन्ड में हर साल एक हजार रूपये वरकर के और एक हजार रूपये मैनेजमेंट के जमा होंगे। एक रूपया सैंकड़ा प्रतिमाह ब्याज के हिसाब से 28 साल में यह रकम तीन लाख इक्यासी हजार तीन सौ अठान्वे रूपये हो जायेगी। पुरानी स्कीम जारी रहने पर रिटायर होने पर उस वरकर को 3,81,398 रूपये प्रोविडेन्ट फन्ड के मिलेंगे। इसी उदाहरण वाले वरकर को नई स्कीम के मुताबिक रिटायर होने पर 1, 90, 699 रूपये मिलेंगे और बाकी 1,90,699 रूपये पेन्शन स्कीम चलाने में काम आयेंगे। सरकार की पेन्शन स्कीम के अनुसार उस वरकर को 428 (चार सौ अठाइस) रूपये महीना पेन्शन मिलेगी। एक लाख नब्बे हजार छह सौ निन्यानवे रूपये का एक रूपया सैंकड़ा प्रतिमाह ब्याज की दर से ही ब्याज एक हजार नो सौ छह रूपये निन्यानवे पैसे प्रतिमाह होता है! और पेन्शन स्कीम में तो मूलधन वापस मिलने जैसी कोई बात है ही नहीं।

इसीलिये सरकार "मजदूरों की भलाई वाली" इस स्कीम को स्वीकार करना अथवा रिजेक्ट करना मजदूरों पर नहीं छोड़ सकती। पेन्शन स्कीम को कम्पलसरी बनाने का कानून संसद में है।

सम्पर्क मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन. आई. टी. फरीदाबाद -121001 (यह जगह बाटा चौक के पास है)

पत्र

डाक्टरों की हड़ताल

मई 1993 अंक में मरीजों की देखभाल की डाक्टरों की व्यक्तिगत या पूरे संस्थान की जिम्मेदारी के विषय में चर्चा तर्क संगत है। पर मसले का एक और पहलू नजरअंदाज हो गया है।

अन्य उद्योगों की भांति अस्पताल उद्योग भी एक सामाजिक जरूरत पूरी करता है, पर यहां भी सीधे-स्पष्ट तरीके से नहीं बल्कि खरीद-बिक्री के रिश्तों के तहत। मजदूर डाक्टरों, ग्राहक मरीजों और अस्पताल मैनेजमेंटों के बीच चिकित्सा-सम्बन्धी कौशल/श्रम और चिकित्सा सेवा के लेने-देने के सम्बन्धों से अस्पताओं का ढांचा बनता है। मरीजों का इलाज व देखभाल चिकित्सा का असल मकसद- इन व्यावसायिक रास्तों में अक्सर ओझल भी हो जाता है।

'शिल्प का उद्योग बनना' की प्रक्रिया के कारण डाक्टरों को कई तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं- काम में अरूचि, घटते/स्थिर वेतन, मरीजों की लम्बी कतारें आदि। साथ ही मरीज भी थके-मांदे, बेमानी ढंग से लेकिन मशीनी रफ्तार से काम करते डाक्टरों से परेशान रहते हैं। सतही तौर पर डाक्टर और मरीज विपरीत पक्ष प्रतीत होते हैं पर दोनों पक्षों से थोड़ा ऊपर उठ कर या परे हो कर देखने से यह एक ही सिक्के के दो पहलू नजर आते हैं। अस्पतालों में डाक्टरों-नर्सों के लिये बेहतर वर्किंग कन्डीशन और मरीजों के लिये बेहतर चिकित्सा एक ही चीज हैं।

डाक्टरों की हड़ताल के समय डाक्टरों और मरीजों में यह सतही विरोध और भी उग्र हो जाता है। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जब हड़ताली डाक्टरों ने अस्पतालों के बाहर चिकित्सा शिविर लागाये हैं। पर आमतौर पर डाक्टरों की हड़ताल का अर्थ मरीजों के लिये दिक्कतों का बढना ही होता है। हड़ताल के इस अनचाहे नतीजे को एक जरूरी बुराई करार दे कर समस्या को नजरअंदाज किया जा सकता है पर इससे निपटा नहीं जा सकता।

ऐसी समस्या का सामना केवल डाक्टरों को ही नहीं करना पड़ता। डाक, रेलवे, टेलीफोन, बिजली, पानी आदि क्षेत्रों में काम कर रहे मजदूरों के आन्दोलन को भी ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ता है। इन क्षेत्रों के संघर्षरत मजदूरों पर मैनेजमेंटों और शासन के दबाव के अलावा जन असन्तोष एक और दबाव बन जाता है। ऐसी स्थिति में सरकारें इन क्षेत्रों को "जरूरी सेवायें" घोषित करके आन्दोलनों/संघर्षों को दबाने के लिये जन समर्थन हासिल कर लेती हैं।

मजदूर आन्दोलन के सामने इस दुविधा का कोई सीधा समाधान नहीं है। दक्षिण कोरिया के रेल मजदूरों के एक प्रयास को इस दिशा में शुरूआत कहा जा सकता है। आन्दोलन के समय ट्रेनें रोकने की बजाय उन रेलवे वरकरों ने 25 लाख यात्रियों को मुफ्त में यात्रा करवाई।

अमित

कम्पलैक्स प्रशासन ने डबुआ कालोनी दुबारा पास की !

डबुआ कालोनी 7 जनवरी 1985 को पास हुई थी। यह कालोनी निवासियों द्वारा कई बार कम्लैक्स प्रशासन के गेट पर प्रदर्शन, भूख हड़ताल, धरने आदि का परिणाम था। निवासियों की एकता और संघर्ष ने पानी, बिजली, सड़कें, पक्की गलियां प्राप्त करने में कुछ हद तक सफलता पाई है। स्कूल, पार्क, लाइब्रेरी, कम्यूनिटी हाल अभी हासिल करने हैं। घरों पर नम्बरिंग आदि के कार्य अभी शेष हैं। प्रदर्शनों के वक्त यह मांगे स्वीकार की गई थी परन्तु प्रशासकों ने, सरकारी प्रतिनिधियों ने कोरे आश्वासन दे कर मामले लटकाये हुये हैं।

डबुआ कालोनी के अधिकांश निवासी किसी राजनैतिक पार्टी की नीतियों में यकीन नहीं करते क्योंकि प्रत्येक दल की सरकार हरियाणा में बन चुकी है और किसी सरकार ने बिना संघर्ष किये नागरिक अधिकार व सुविधायें नहीं दीं।

प्रशासन ने 1985 में 30 रूपये प्रति वर्ग गज का विकास शुल्क प्रस्तावित किया जिस पर डबुआ कालोनी निवासियों ने एतराज फार्म भरे। 1990 में प्रशासन ने 40 रूपये गज के नोटिस भेजे। उस पर भी एतराज किये गये, प्रदर्शन हुआ। 1992 में 60 रूपये प्रति वर्ग गज के नोटिस अखबारों में छपवाये गये। डबुआ निवासियों ने फिर एतराज फार्म भरे। प्रशासन ने कभी भी निवासियों को सुनवाई के लिये नहीं बुलाया यद्यपि यह एक जरूरी प्रक्रिया है। डबुआ निवासी कोर्ट में गये। 26 रूपये प्रति वर्ग गज तय भी हो गया था परन्तु अधिकारियों ने सरकार के निर्देश पर 26 रूपये के नोटिस निवासियों को नहीं भेजे। इसके विपरीत सरकार के निर्देश पर निवासियों को 60 रूपये की दर से पूरी रकम एक किश्त में, एक सप्ताह में जमा करने का हुकम जारी हुआ है। 100 रूपये पेनल्टी और कानूनी कार्रवाई की धमकी ऊपर से है। इसके अलावा प्रशासन ने अपनी मूर्खता का परिचय देते हुये 1985 में पास कालोनी को ही पुनः मार्च 1993 में अधिकृत (पास) करने की सूचना जारी की है। डबुआ कालोनी के बहुत से निवासियों ने 23 रूपये 50 पैसे और 26 रूपये प्रति वर्ग गज की दर से विकास शुल्क जमा किया हुआ। प्रशासन ने इसकी रसीदें दी हुई हैं।

सुरेन्द्र सिंह

क्या इस ढर्रे के रक्षक भी हैं?

जो है उसकी चौतरफा आलोचना आजकल अक्सर सुनने को मिलती है। कोई पीछे के विभिन्न पड़ावों को लौटना चाहते हैं तो कोई रंग-बिरंगी नई मंजिलों को इंगित करते हैं। इससे कई बार ऐसा लगता है कि मौजूदा कबाड़े से हर कोई छुटकारा पाना चाहता है। लगता है आया सब परिवर्तन के पक्ष में हैं।

और इस आम सहमति- सर्वानुमति में सिमटे परस्पर विरोधी रूख अपने अस्तित्व व शक्ति का परिचय खून-खराबे के नित्य बढ़ते पैमाने द्वारा दे रहे हैं।

तो क्या वर्तमान व्यवस्था के कोई रक्षक नहीं हैं?

आइये 21 मई के नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट देखें।

फौज की छठी कमान के प्रमुख ने प्रेस रिपोर्टरों को बताया कि प्रशिक्षण कमान का कार्य रणनीति बनाना है। लेफ्टीनेंट जनरल ने देश के विभिन्न भागों में विद्रोह की बढ़ती घटनाओं को देखते हुये सैनिकों को इन से मुकाबला करने का प्रशिक्षण देने के केन्द्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया। देश में इस समय इस तरह का एकमात्र केन्द्र मिजोरम में है। जनरल ने कहा कि विद्रोह की घटनायें जिस तरह बढ रही हैं उसे देखते हुये ऐसे एक केन्द्र से काम चलने वाला नहीं है इसलिये इस तरह के अन्य केन्द्र स्थापित करने पर विचार चल रहा है। जनरल ने आगे कहा कि हम विद्रोह कासफलता-पूर्वक मुकाबला करने की रणनीति विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिये फौज के अनुभवों के साथ-साथ सी आर पी, बी एस एफ, असम राइफल्स, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, आन्ध्र पुलिस, पंजाब पुलिस आदि-आदि से भी परामर्श किया जा रहा है जो कि इस तरह की कार्रवाई में हिस्सा ले चुके हैं।

जनरल ने संवाददाताओं को एक और महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि फौज में यहां रणनीति अब तक क्षेत्र और व्यक्ति के आधार पर अलग-अलग होती थी। अब यह प्रयास होगा कि सेना के सभी अंगों द्वारा अपनायी जाने वाली मूलभूत रणनीति एक समान हो। फौज की कार्य-कुशलता बढ़ाने के ऐसे प्रयासों का एक परिणाम यह भी है कि व्यक्ति-विशेष की भूमिका को चेहरा-विहीन सामुहिकता अधिकाधिक प्रतिस्थापित कर रही है।

दुनियां के हर देश में फौज और उसके प्रशिक्षण-रणनीति विभाग हैं। इतना ही नहीं, सब जगह फौज में चेहरा-विहीनता प्रमुखता हासिल कर रही है।

अधिकाधिक चेहरा- विहीन होती वर्तमान व्यवस्था के रक्षकों के चेहरे-मोहरे भी महत्वहीन हो रहे हैं। निराकार कन्टैन्ट-अन्तर्य के माफिक निराकार रूप। यह व्यक्ति- विशेष पर दोषारोपण की बजाय मौजूदा सामाजिक सम्बन्धों, सामाजिक ताने-बाने पर विचार करने की आवश्यकता को उजागर नहीं कर रहा क्या?

सरकारी मिल

उत्तर प्रदेश स्थित सरकारी कारखाने, अमरोहा सहकारी कताई मिल में मैनेजमेंट ने 7 मई को तालाबन्दी कर दी। फिर मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ समझौता करके बीस दिन बाद मिल खोल दी।

मिल मजदूरों की संख्या में कटौती, 250 स्थाई वरकरों को बदली वरकर बनाना, वर्क लोड में भारी वृद्धि वाले समझौते में भत्तों- वेतन वृद्धि वाली थोड़ी चाश्नी भी लगाई है। सरकारी कारखाने की मैनेजमेंट और मान्यता प्राप्त यूनियन के बीच हुये समझौते के विरोध में मजदूरों ने 27 मई को क्षेत्रीय उप श्रमायुक्त के मुरादाबाद कार्यालय पर कब्जा किया।

बड़े अखबार

हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान टाइम्स बड़े अखबार हैं। एडवरटाइजमेंटों और अधिक बिक्री से इतवार को यह अपनी आमदनी का अच्छा-खासा हिस्सा बटोरते हैं। पिछले चार सप्ताह से यह अखबार हफ्ते के बाकी छह दिन छपते हैं पर रविवार को नहीं। वजह ? हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान टाइम्स खेद व्यक्त करते समय एक लाइन में मजदूरों के आन्दोलन को असुविधा का कारण बताते हैं। हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान टाइम्स ही नहीं बल्कि अन्य बड़े अखबार भी इस मजदूर आन्दोलन की चर्चा नहीं करते। कारण? हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के आन्दोलनकारी मजदूर सूझ-बूझ के साथ मैनेजमेंट की दुखती रग को छू रहे हैं!

शंकर गुहा नियोगी के लेख जो कि लोक साहित्य परिषद- शहीद शंकर गुहा नियोगी यादगार समिति द्वारा पैम्फलेटों के रूप में प्रकाशित हैं वे लोक साहित्य परिषद द्वारा शहीद अस्पताल, पोस्ट - दल्ली राजहरा, दुर्ग-491228 से प्राप्त की जा सकती हैं।

हम ऐसे वक्त में रह रहे हैं जब विस्तृत पैमाने पर शब्दों- चित्रों का प्रसार विभिन्न गतिविधियों को बड़े पैमाने पर लोगों के बीच ले जा रहा है। ऐसे में मजदूरों के जीवन से जुड़ी घटनाओं के चित्रण का अत्यन्त अभाव खलता है। भारत में ही देखें तो इतनी बड़ी व बहुआयामी मजदूर आबादी का एक अखबार/एक पुस्तक तक नहीं है जिसका उल्लेखनीय संख्या में प्रसार हो। अभिव्यक्ति और आदान-प्रदान का यह अभाव मजदूर पक्ष के उभरने तथा उसके विकास में बाधा है।

इन परिस्थितियों में मजदूर आन्दोलन के सम्बन्ध में प्रकाशनों का स्वागत है। ऐसे प्रकाशन उल्लेखनीय योगदान तभी कर सकते हैं जब उन पर विस्तृत चर्चा हो तथा उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाये। मात्र प्रकाशन स्वयं में मजदूर आन्दोलन में महत्वपूर्ण योगदान नहीं कर सकते।

महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र भिलाई में मजदूर आन्दोलनों का वर्णन, विश्लेपण व मूल्यांकन वृहदतर मजदूर आन्दोलन के लिये महत्वपूर्ण हैं। विगत 15 साल की इस क्षेत्र की उल्लेखनीय घटनाओं से जुड़े लोग जब अपने विचारों व अनुभवों को प्रस्तुत करते हैं तब पाठक उनसे भिलाई क्षेत्र के घटनाक्रम पर एक गहन दृष्टि, धाराओं व विचारों के टकरावों का विवरण और मूल्यांकन जो भविष्य की कार्यदिशा के लिये उपयोगी हो उनकी अपेक्षा करते हैं।

मजदूर आन्दोलन के तान-बाने में आम मजदूरों, व्यक्तित्वों और ग्रुपों के बहुआयामी सम्बन्धों की अभिव्यक्ति होती है। यह मजदूर आन्दोलन में विभिन्न धाराओं को जन्म देती है। प्रत्येक धारा कार्य-स्थल पर विरोध के अपने स्वरूप, इतिहास तथा सामाजिक प्रक्रिया की अपनी समझ और अपने लक्ष्य द्वारा चित्रित-चिन्हित होती है। मजदूर आन्दोलन के जटिल बहुआयामी सम्बन्धों को सम्पूर्णता में आंकलन में शामिल करने वाली सशक्त धारा आज नजर नहीं आती। आम मजदूरों अथवा व्यक्ति- हीरो अथवा ग्रुप- पार्टी अथवा क्षेत्र- देश आदि पर एकतरफा जोर देने वाली धारायें ही आज आमतौर पर नजर आती हैं।

उपरोक्त बहुआयामी सम्बन्ध विश्व परिप्रेक्ष्य में कार्यरत वस्तुगत वास्तविकता और उसकी गतिक्रिया- डायनैमिक्स से जुड़े हैं। वस्तुगत वास्तविकता और उसकी डायनैमिक्स मजदूर आन्दोलन की एक विशेष दिशा, अन्तरराष्ट्रीयतावादी दिशा की आवश्यकता को उभारती हैं। ऐसा यह कई प्रकार की दिशाओं- क्षेत्रों को मजदूर आन्दोलन के लिये बाधाओं में बदल कर करती हैं।

1. क्षेत्र-विशेष के घटनाक्रम, 2. समझ- संगठन- संघर्ष के सार व रूप और, 3. वस्तुगत वास्तविकता, अन्तर सम्बन्धित हैं। यह एक- दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक-दूसरे को यह किस प्रकार प्रभावित करते हैं यह महत्वपूर्ण है।

मजदूर वर्ग को जो चीज मजदूर वर्ग बनाती है और कार्यस्थल पर विभिन्न मजदूर प्रतिरोधों के विवरण व उनके निष्कर्ष जो कि अन्य क्षेत्रों के मजदूरों के लिये उपयोगी हो सकते हैं उनका चर्चित प्रकाशनों में पूर्ण अभाव है। कार्यस्थल पर मैनेजमेंटों की शक्ति और कार्यविधि के खिलाफ मजदूरों के संघर्षो के ठोस उदाहरण तथा विवरण इन प्रकाशनों में देखने को नहीं मिलते। भिलाई स्टील प्लान्ट जहां केन्द्र में है वहां से जुड़े प्रकाशनों में निराकार पूंजी, उसकी डायनैमिक्स और मजदूर आन्दोलन के लिये इसके अर्थो का जिक्र तक नहीं होना वर्तमान के दृष्टिगत सिद्धान्त व बौद्धिक गहराई के अभाव को प्रदर्शित करता है। इन पैम्फलेटों में संकलित विचार मजदूर वर्ग के हितों की बजाय राष्ट्रीयता, देश और पहचान की राजनीति को प्रमुखता देते हैं।

कानपुर नारी सम्मेलन पर एक टिप्पणी

सामाजिक उथल-पुथल ढेरों दबे-छुपे पहलुओं को उभारती भी है। इस अखबार में हम विशेषकर कार्यस्थल पर नजर आते मजदूर प्रतिरोधों और मजदूर आन्दोलन के अन्य पहलुओं पर चर्चा करते हैं। महिला मजदूरों के आन्दोलनों की भी इस सन्दर्भ में चर्चा होती है। लेकिन महिलायें उन सत्ताओं सेकैसे निपटती हैं जो उन्हें ढालती, परिभाषित करती और घेरों में बन्द करती हैं यह अधिकतर अदृश्य रहता है। और फिर इस क्षेत्र में हमारी जानकारी बहुत कम है तथा साधनों की भी कमी है। इसलिये सामाजिक-राजनीतिक मंचों पर बड़ी तादाद में एकत्र महिलायें जब स्वयं को अभिव्यक्त करती हैं तब उपरोक्त विषय में हमें इच्छित जानकारी मिलती है। कानपुर में हाल ही में हुआ नारी सम्मेलन इस सन्दर्भ में हमारे लिये महत्वपूर्ण रहा है।

दुनियां में हाल की घटनाओं पर एक सरसरी नजर भी यह दिखाने के लिये पर्याप्त है कि देश और नारी का रिश्ता जटिलता लिये है।

देश का हित, देश का विकास, देश को शक्तिशाली बनाना, देश को बचाना आदि के लिये अनुशासित और आज्ञाकारी नागरिक, कम खर्च में घर का खर्च चलाना, कम वेतन पर अधिक काम करना, भारत जैसे देशों में फैमिली प्लानिंग आपरेशन सहर्ष स्वीकार करना, आवश्यकता पड़ने पर छंटनी के लिये तैयार रहना, बसों में भीड़ में चुपचाप धक्के खाना आदि-आदि आवश्यक हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति बिना प्रतिरोध के नहीं होती। इस प्रतिरोध से निपटने के लिये दमन जरूरी है। शक्तिशाली देश के लिये दमन के यन्त्रों, पुलिस और फौज का शक्तिशाली होना अनिवार्य आवश्यकता है क्योंकि अन्तरराष्ट्रीय मार्केट में प्रतियोगी बने रहने के लिये कम से कम लागत पर अधिक से अधिक प्रोडक्शन की सतत प्रक्रिया जरूरी है। जाहिर है कि ऐसे में दमन और शोषण बढ़ेगा।

अन्य उत्पीड़ित और शोषितों की ही तरह नारियों का उत्पीड़न तथा शोषण बढ़ना शक्तिशाली देश के निर्माण का अनिवार्य परिणाम होता है। समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्रों की नींव शोषितों के खून-पसीने में सनी हैं।

इन तथ्यों के दृष्टिगत कानपुर में हुआ नारी सम्मेलन जब देश बचाओ का नारा देता है तब आँखों पर ऐसी पट्टी पर आश्चर्य ही किया जा सकता है।

धर्म और धार्मिक उन्माद से मुकाबले के लिये रोजमर्रा के जीवन में बढ़ती परेशानियों और उनकी जड़ से टक्कर लेनी होगी। क्या देश बचाओं का नारा रोजमर्रा की बढ़ती परेशानियों को बरदाश्त करने के प्रवचनों को आड़ प्रदान नहीं करता?

RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73

नेता किसे चाहियें?

उड़ीसा के मुख्यमन्त्री उस कमेटी के अध्यक्ष थे जिसे भारत सरकार ने देश की खराब आर्थिक हालत के दृष्टिगत कदम सुझाने की जिम्मेदारी दी थी। श्री बीजू पटनायक की अध्यक्षता वाली मुख्यमन्त्रियों की उस कमेटी ने कर्मचारियों की छंटनी करने, वेतन जाम करने व सहुलियतों में कटौती के सुझाव दिये। केन्द्र सरकार और सब मुख्यमन्त्रियों ने वे सुझाव मान लिये हैं पर अभी किसी ने उन पर अमल नहीं किया है।

भारत सरकार व सब राज्य सरकारों की आर्थिक हालत खराब है- उड़ीसा सरकार के पानी नाक से ऊपर तक आ गया। लोकप्रियता की दौड़ में शामिल मुख्यमन्त्री को अलोकप्रिय कदम उठाना पड़ा। उड़ीसा सरकार ने राज्य के 6 लाख तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अवकाश यात्रा भत्ता (एल टी ए) और अवकाश के बदले भुगतान देने बन्द कर दिये। कर्मचारियों की संग्राम परिषद ने इन कटौतियों के खिलाफ आन्दोलन छेड़ दिया। एक दिन सामुहिक अवकाश- राज्य व्यापी हड़ताल। फिर भी, खराब होती आर्थिक स्थिति की वजह से कर्मचारियों का वेतन तक पहली की बजाय दस को व फिर 15 तारीख को खिसका दिया गया।

इन हालात में उड़ीसा सरकार के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का असन्तोष 6 मई को फूट पड़ा। हजारों कर्मचारियों ने मुख्यमन्त्री तथा बड़े अफसरों की लात-मुक्कों और जूते-चप्पलों से पिटाई की। सरकार की आर्थिक हालत खराब और मंत्रियों- अफसरों की ऐशो- आराम की जिन्दगी ने मंत्रियों- अफसरों की कारों आदि को भी कर्मचारियों के गुस्से का निशाना बनाया।

प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से ले कर मुख्यमंत्री ज्योति बसु तक सब ने इस अभूतपूर्व घटना के लिये उड़ीसा के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्त्सना की। बड़े अखबारों ने इस सुर में सुर मिलाया। और उड़ीसा सरकार ने बिना जांच के भारत सरकार के संविधान की धारा 311 के तहत 7 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। 74 कर्मचारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार हैं तथा उन्हें सस्पैन्ड कर दिया गया है। मुख्यमन्त्री के अनुसार अभी और कर्मचारियों को बर्खास्त तथा गिरफ्तार करना है। घटना के दौरान पुलिस के सिपाहियों द्वारा एस पी के आदेश पर कर्मचारियों के सिर फोड़ने से इनकार का व भाग जाने का मुख्यमंत्री ने कड़ा नोटिस लिया है और खुफिया विभाग समेत सम्पूर्ण पुलिस बल की स्वयं जांच- परख की घोषणा की है।

कर्मचारियों को कार्ड पंचिंग और गले में फोटो लटकाने वाली सूइयां भी उड़ीसा सरकार चुभा रही है।

इस सब के बावजूद उड़ीसा के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का आन्दोलन जारी है और 19 मई के नवभारत टाइम्स के मुताबिक यह गम्भीर संकट का रूप लेता जा रहा है। 23 मई की जनसत्ता के अनुसार उड़ीसा के परेशान मुख्यमन्त्री ने राज्य के आन्दोलनकारी कर्मचारियों से कोई बातचीत करने से मना कर दिया है क्योंकि "कर्मचारियों का कोई नेता नहीं है। अगर नेता होता तो 6 मई को कर्मचारियों ने जो हिंसा की वह न करते।" मुख्यमन्त्री ने यह भी कहा कि कर्मचारियों की मांगें न्यायोचित नहीं हैं क्योंकि राज्य सरकार आर्थिक परेशानी में है।

और पड़ोसी राज्य बिहार में सरकारी कर्मचारी महासंघ का एक नेता कहता है : "बिहार की स्थिति उड़ीसा से भी ज्यादा खराब है। यहां 20 हजार को छंटनी की चेतावनी दी गई है जिसकी रोजी- रोटी जायेगी वह हमारे मना करने के बावजूद कुछ भी कर सकता है। राजभवन के 105 कर्मचारी नौकरी से निकाल दिये गये हैं।"

हरियाणा में उड़ीसा- बिहार जैसे "गरीब" राज्यों से स्थिति बेहतर नहीं है। शराब की नदियों और लाटरी के पहाड़ों के बावजूद हरियाणा सरकार की हालत खस्ता है। 1966 में राज्य के गठन के समय हरियाणा सरकार पर केन्द्र सरकार व बैंकों का 161 करोड़ 76 लाख रूपये का कर्ज था जो विकास के इस कमाल में अब 2642 करोड़ 39 लाख रूपये हो गया है। राज्य सरकार को कर्मचारियों को वेतन तक देने में परेशानी हो रही है। ऐसे में हरियाणा सरकार के कृषि कर्मचारियों, स्वास्थ्य कर्मचारियों, शहरी विकास प्राधिकरण कर्मचारियों, पुलिस कर्मचारियों, बिजली बोर्ड कर्मचारियों.... के आन्दोलन हो रहे हैं।

अमरीका

कोनेक्टिकट में प्रैट एन्ड व्हिटने एयरक्राफ्ट के चार प्लान्ट हैं। कम्पनी की पुनर्गठन- रीस्ट्रकचरिंग की योजना एक चौथाई मजदूरों की छंटनी लिये है। मजदूरों ने पाया कि मैनेजमेंट की छंटनी स्कीम के खिलाफ यूनियन कोई कारगर कदम नहीं उठा रही थी। इस पर मजदूरों ने स्वयं संगठित हो कर कदम उठाने शुरू किये हैं। चारों प्लान्टों के मजदूरों की पहलकदमी पर कार्यरत कन्सर्नड वरकर्स नेटवर्क स्लो डाउन, जलूस और प्रचार को संगठित कर रहा है।

'2. नोवा स्कोटिया में पोर्ट हाक्सबरी स्थिति प्रिमियम आटोमोटिव टैंक्स फैक्ट्री में फरवरी में एक दिन सैक्यूरिटी गार्डो ने मजदूरों को चाणचक्क फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया। भौंचक्के मजदूरों को कहा गया कि फैक्ट्री बन्द की जा रही है और उन्हें बरखास्त कर दिया गया है।

गुस्से से उबलते मजदूर दूसरे दिन सुबह फैक्ट्री में घुसे और फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। फैक्ट्री पर मजदूरों के कब्जे को जब चार दिन हो गये तब मैनेजमेंट की फैक्ट्री बेचने की स्कीम गड़बड़ाने लगी। मैनेजमेंट को मजबूर हो कर मजदूरों से समझौता करना पड़ा।

(सामग्री हमने दी पीपल के 3 अप्रैल 1993 अंक से ली है।)

ईरान

बेहशहर टैक्सटाइल प्लान्ट में दो शिफ्टों के 4000 मजदूरों ने मार्च माह में हड़ताल की। मजदूरों की हड़ताल तोड़ने के लिये पुलिस ने फैक्ट्री पर कब्जा किया। हड़ताली कपड़ा मजदूरों ने लकड़ी, कागज, बिजली और मछली उद्योग के मजदूरों से समर्थन की अपील की। घटनाक्रम पर नजर रखने और नियन्त्रण स्थापित करने के लिये ईरान के राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति और 5 मंत्रियों को भेजा।

2. मार्च माह में ही ईरान के महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर ताब्रिज में ट्रैक्टर मैनुफैक्चरिंग फैक्ट्री के मजदूरों ने वेतन वृद्धि और बेहतर वर्किंग कन्डीशनों के लिये आम सभा की। सरकारी अधिकारी जांच के लिये फैक्ट्री पहुंचे। मजदूरों ने चक्का जाम करके खुदा के बन्दों का स्वागत किया।

3. मध्य मार्च में राजधानी तेहरान में ट्रक-कार निर्माता बेन्ज ए ख्वार आटो प्लान्ट की मैनेजमेंट ने नोटिस लगा कर 600 मजदूरों से कहा कि वे ड्यूटी पर नहीं आयें। उनके लिये नये काम के बारे में निर्णय होने तक उन्हें वेतन मिलता रहेगा।

ईरान में कई फैक्ट्रियों में मैनेजमेंटों ने मजदूरों की छंटनी के लिये यह तरीका इस्तेमाल किया है। इसलिये बेन्ज आटो प्लान्ट के मजदूरों ने मैनेजमेंट के नोटिस के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किये। संघर्षरत मजदूरों पर मुल्लों के बन्दूकधारियों ने फैक्ट्री में घुस कर हमले किये।

(सामग्री हमने फारसी- अंग्रेजी अखबार वरकर टुडे के मई 1993 अंक से ली है।)

डी एस प्रेसिंग

प्लाट न. 88 सैक्टर 24 स्थिति दस साल से चालू इस छोटी फैक्ट्री में 20-25 मजदूर काम करते हैं- 10 परमानेन्ट, 5-6 कैजुअल, 5-6 ठेकेदार के। फन्ड, बोनस से डी एस प्रेसिंग के वरकर वंचित हैं। जनवरी 93 से लागू महंगाई आंकड़ा भी मैनेजमेंट ने लागू नहीं किया। इस पर मजदूरों ने डी एल सी को शिकायत डाली। साहब ने 3 जून की तारीख सुनवाई के लिए तय की और रिवाज- नियम के अनुसार लेबर डिपार्टमैन्ट ने मजदूरों की शिकायत की प्रति मैनेजमेंट के पास भेज दी।

सूचना मिलते ही मैनेजमेंट हरकत में आई और डरा-धमका कर डी एस प्रेसिंग में काम कर रहे सब मजदूरों से इस बात पर दस्तखत करवा लिये कि उन्होंने डी एल सी को कोई शिकायत नहीं की है। मैनेजमेंट ने यह भी सुनिश्चित किया कि कोई मजदूर 3 जून को डी एल सी के पास नहीं जाये।

मजदूरों की शिकायतें दाखिल-दफ्तर करने की मैनेजमेन्टों और लेबर डिपार्टमैन्ट की यहजांची-परखी राह है। बिचौलिये इस राह में कुछ कांटे अवश्य बनते हैं पर अपने लिये टुकड़े हासिल करने के लिये ही। ऐसे में कानून-वानून से जो थोड़ी-सी राहत मिल सकती है उसके लिये क्या करें? कागजी कुश्ती के लिये भी मजदूरों द्वारा अपनी तादाद बढाने वाले कदम उठाना क्या जरूरी हैं?

सूचना

डाक से साल- भर अखबार प्राप्त करने के लिये 15 रूपय बैंक ड्राफ्ट/चैक/ मनीआर्डर द्वारा शेर सिंह, सम्पादक फरीदाबाद मजदूर समाचार के नाम से मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, फरीदाबाद 121001 के पते पर भेजें।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेरसिंह के लिए जे के ऑफसैट दिल्ली से मुद्रित किया।